प्रचार-प्रसार पत्रिका क्र.-61

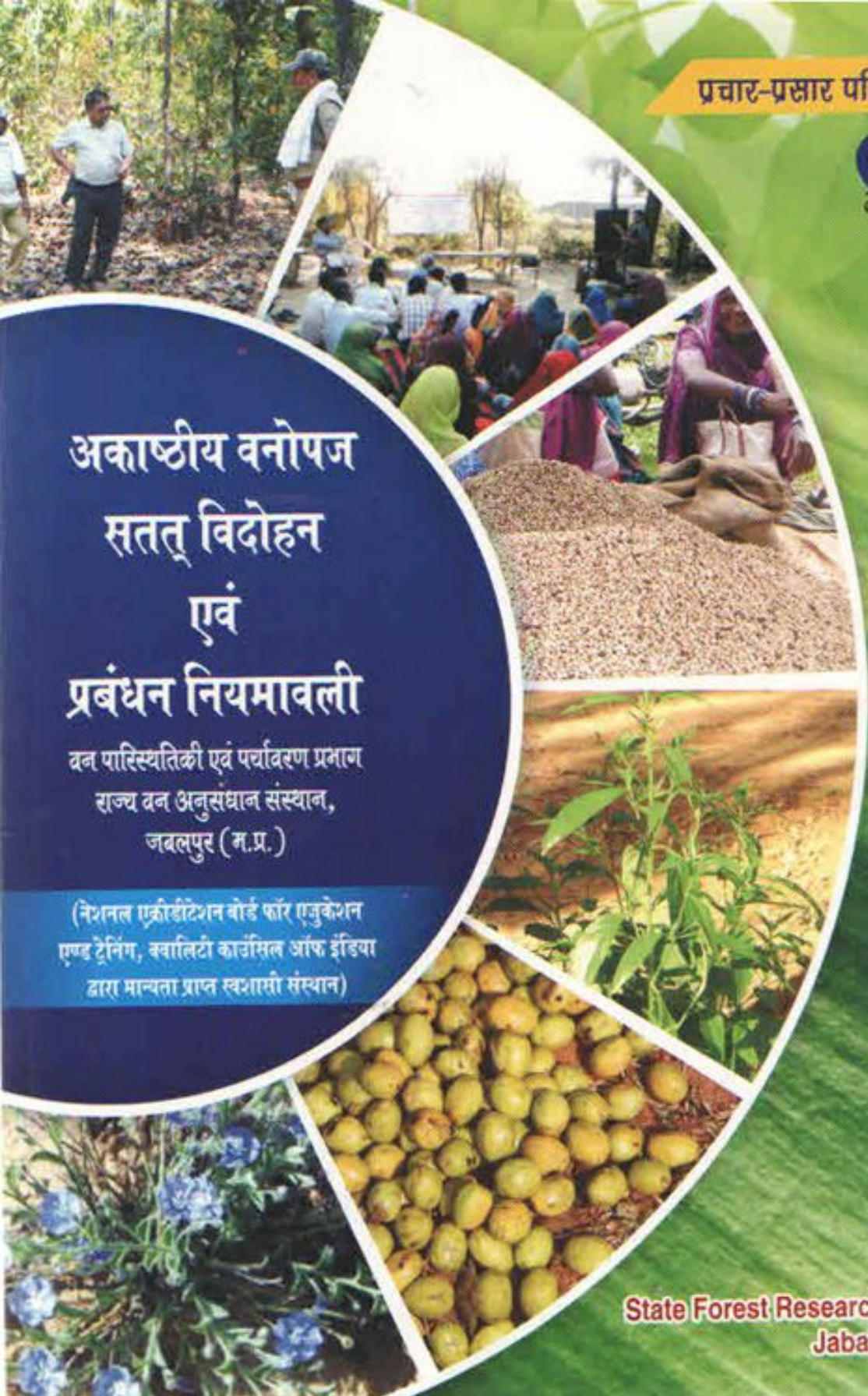

अकाष्ठीय वनोपज सतत् विदोहन एवं प्रबंधन नियमावली

वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण प्रभाग
राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर (म.प्र.)

(नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त स्वशासी संस्थान)

State Forest Research Institute,
Jabalpur (M.P.)

प्रचार–प्रसार पत्रिका क्रमांक – 61

अकाष्ठीय वनोपज सतत् विदोहन एवं प्रबंधन नियमावली

प्रस्तुतकर्त्ता

डॉ जी. कृष्णामूर्ति
संचालक

डॉ. आर. के. पाण्डेय
परियोजना प्रमुख अन्वेषक एवं प्रभारी प्रमुख

एवं

शैलेन्द्र नेमा
सीनियर रिसर्च एसोसिएट

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी
म.प्र. भोपाल द्वारा वित्त पोषित

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.)
2015

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय वस्तु	पृष्ठ क्र.
1.	मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों में जनभागीदारी द्वारा महत्वपूर्ण औषधीय एवं लघु वनोपजों के विनाशहीन विदोहन तकनीक की क्रियान्वयन पद्धति	01
2.	प्राकृतिक वन क्षेत्रों में क्षेत्रीय जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा आर्थिक महत्व की लघुवनोपजों का विनाश विहीन विदोहन तकनीक का विकास	04
3.	सतत् एवं संवहनीय विदोहन हेतु मानकों का निर्धारण	09
4.	प्रजाति : माहुल पत्ता (वाऊहीनिया वैहलाई)	09
5.	प्रजाति : बायविडंग (एम्बीलिया बसाल)	11
6.	प्रजाति : बैचांदी (डायस्कोरिया डिमोना)	13
7.	प्रजाति : तीखुर (कुरकुमा अंगस्टीफोलिया)	14
8.	प्रजाति : शतावर (ऐसपेरेगस रेसीमोसस)	17
9.	प्रजाति : सफेद मूसली (क्लोरोफायटम ट्यूबरोसम)	19
10.	प्रजाति : काली मूसली (कुरकुलिगो ऑरकिऔयडिस	21
11.	प्रजाति : चित्रक (प्लमबेगो जिलेनिका)	22
12.	प्रजाति : मुई आंवला (फाइलेन्थस ऐमेरस)	24
13.	प्रजाति : कालमध (ऐन्डोग्राफिस पैनीकुलेटा)	26
14.	प्रजाति : कलिहारी (ग्लोरिओसा सुपरबा)	29
15.	मध्यप्रदेश की औद्योगिक महत्व की प्रमुख लघु वनोपजों के वनों से उपयोगी भाग/प्रभाग के परिपक्वता समय	31
16.	मध्यप्रदेश में पायी जाने वाली औषधीय पौधों की सूची	34

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश जैव विविधता बाहुल्य राज्य है जिसका लगभग 32% भू–भाग ऊष्णकटिबंधीय साल, सागौन एवं मिश्रित वन क्षेत्रों से आच्छादित है। औषधीय पौध, जंगली जड़ी–बूटी एवं अनेकों प्रकार की अकाष्ठीय वनोपजों पर प्रदेश की लगभग 22% आबादी, जिसमें अधिसंख्य लोग विभिन्न जनजाति समूह के हैं, के जीविकोपार्जन एवं दैनिक/वार्षिक आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वनों या वन के आसपास रहने वाले आश्रित जन समुदाय को वनोपजों के स्वयं के जीविकोपार्जन के लिए विनाश विहीन सतत् विदोहन/संग्रहण द्वारा वनों में पाई जाने वाली वन संसाधनों के उपयोग के साथ–साथ अनेको आर्थिक लाभांश योजनाओं द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन नीति निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत वन एवं वन संसाधनों के सतत् प्रबंधन में क्षेत्रीय जन समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु प्रावधान किया गया है।

विगत कुछ वर्षों से प्रदेश के प्राकृतिक वन क्षेत्रों से महत्वपूर्ण लघुवनोपजों की बढ़ती मांग के कारण अवैधानिक तौर से अनियंत्रित विदोहन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अधिक मांग वाली लघुवनोपजों की स्थिति प्राकृतिक वन क्षेत्रों में चिंतनीय हो गई है। इनमें से अनेकों प्रजातियों का विनाशकारी विदोहन होने के कारण ये प्रजातियाँ संकटाग्रस्त एवं विलुप्त प्राय स्थिति में पहुंच गई हैं। महत्वपूर्ण अकाष्ठीय वनोपजों के विनाशकारी एवं अनियंत्रित विदोहन के कारण प्राकृतिक वन क्षेत्रों से संसाधनों के कमी के साथ–साथ बहुमूल्य क्षेत्रीय जैव–विविधता संरक्षण के लिए भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है।

आश्रित ग्रामीण जन समुदाय के लघुवनोपजों के विदोहन में मुख्यतः फल, फूल, बीज, औषधीय पौधे, जलाऊ लकड़ी आदि की आवश्यकता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अब यह आवश्यक है कि आदिवासी एवं स्थानीय ग्रामीण जन समुदाय की भागीदारी द्वारा प्राकृतिक वन क्षेत्र में सह–प्रबंधन नीति सुनिश्चित कर उपयोगी एवं संकटापन्न अकाष्ठीय वनोपजों का विनाशविहीन विदोहन सुनिश्चित कर प्राकृतिक वन क्षेत्रों में सतत प्रबंधन की दिशा में उनके महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु कौशल उन्नयन कर क्षमता का विकास किया जाना अति आवश्यक हो गया है।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वन क्षेत्रों में अनेकों आर्थिक महत्व की अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियां जैसे– माहुल पत्ता, सफेद मूसली, काली मूसली, सतावरी, बैचांदी, तीखुर,

चित्रक, मुंई आंवला, बायविडंग, आंवला, चिरौंजी, कालमेघ, कलिहारी आदि का क्षेत्रीय जन समुदाय की भागीदारी द्वारा प्राकृतिक वन क्षेत्रों में सतत विदोहन सीमा का निर्धारण किया जा चुका है। संस्थान द्वारा निर्धारित की गई सतत विदोहन सीमा तकनीक का प्रभावी तौर पर वन क्षेत्रों में अकाष्ठीय वनोपजों के संग्रहण में लागू करना सतत प्रबंधन की दिशा में अति आवश्यक है। प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के वन क्षेत्रों में किये गये अनुसंधान कार्यों द्वारा निर्भर जन समुदाय के कौशल उन्नयन द्वारा क्षमता विकास किया गया जिसके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम 2005 एवं मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के द्वारा प्रदेश के प्राकृतिक वन क्षेत्रों में अनियंत्रित विनाशकारी विदोहन के फलस्वरूप संकटापन्न स्थिति के अकाष्ठीय वनोपजों को नियमानुसार संग्रहण में रोक लगाने के अधिकारों का अधिरोपण किया गया है। अतः ऐसे अनेकों जंगली जड़ी–बूटी एवं अकाष्ठीय वनोपज प्रजाति, जो प्राकृतिक वनों से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही हैं उन्हें क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी द्वारा एक निश्चित समयावधि के लिए संग्रहण से रोक लगाने के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग जैव विविधता संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए।

अन्तः स्थलीय वन क्षेत्रों में क्षेत्रीय जन समुदाय द्वारा विदोहन की जाने वाली महत्वपूर्ण अकाष्ठीय वनोपजों के विनाश विहीन विदोहन सीमा का निर्धारण जन सहयोग द्वारा किया गया इससे क्षेत्रीय जन समुदाय की सोच, जैव विविधता पर अनियंत्रित दबाव पर नियंत्रण, विनाशकारी विदोहन के दुष्परिणाम एवं वैज्ञानिक तरीके से वन सुरक्षा समिति के सीधे तौर पर भागीदारी द्वारा अकाष्ठीय वनोपजों के सतत प्रबंधन की दिशा में उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों में संस्थान द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों के सफल प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बगैर क्षेत्रीय जन समुदाय के सहयोग के प्राकृतिक वन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं अकाष्ठीय लघुवनोपजों का संरक्षण एवं सतत प्रबंधन संभव नहीं है। अतः वन विभाग के क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों एवं वनों पर निर्भर जन समुदाय के सोच, ज्ञान, कौशल उन्नयन तथा उनके लोक परंपरागत ज्ञान को विकसित करने हेतु संस्थान द्वारा प्रकाशित "अकाष्ठीय वनोपज सतत विदोहन एवं प्रबंधन नियमावली" उपयोगी एवं लाभकारी सिद्ध होगी।

(डॉ. जी. कृष्णमूर्ति, भा.व.से.)
संचालक
राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.)

प्रस्तावना

वन क्षेत्रों से एकत्रित की जाने वाली औषधीय महत्व की जडी–बूटियों, आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाली अनेक औषधियों के प्रमुख घटक है। विगत वर्षों में देश एवं विदेश में जड़ी–बूटियों से निर्मित औषधियों के प्रति लोगों का रूझान बढ़ने से उनकी मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। जिसके कारण प्राकृतिक वनों से आर्थिक महत्व की औषधीय प्रजातियों का बेतहाशा एवं असंवहनीय विदोहन हुआ है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के वन क्षेत्रों में भी प्रवेश होने से आजीविका के लिए वनों पर आधारित ग्रामीण समुदाय पारंपरिक संवहनीय विदोहन पद्धतियों का परित्याग कर तात्कालिक लाभ हेतु विनाशकारी विदोहन की अंधी दौड़ में सम्मिलित हो गये हैं। फलस्वरूप प्रदेश वनक्षेत्रों से औषधीय महत्व की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं, जिसके संरक्षण एवं संवहनीय प्रबंधन के लिए तत्काल प्रभावकारी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। इसके आवश्यक है कि वाणिज्यिक महत्व की दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों की पहचान के पश्चात उनके संवहनीय प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों का विकास कर संग्राहक समुदायों तक इन्हें पहुंचाया जाये। विगत वर्षों में राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा इस दिशा में पहल करते हुए ग्रामीण संग्राहक समुदायों की सहभागिता से वाणिज्यिक एवं औषधीय महत्व की कई प्रजातियों के विदोहन की संवहनीय सीमाओं का वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया गया है। इस तरह विकसित तकनीकों के माध्यम से क्षेत्रीय जन भागीदारी द्वारा अन्तःस्थलीय सतत् प्रबंधन की दिशा में जानकारी देकर व्यावहारिक रूप से क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने की दिशा में जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण प्रभाग द्वारा वर्ष 1995 से मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं उपयोगी अकाष्ठीय वनोपजों के अन्तः स्थलीय संरक्षण, क्षेत्रीय जनसमुदाय की सीधे सहभागिता द्वारा विनाशविहीन विदोहन तकनीक का निर्धारण एवं सतत प्रबंधन की दिशा में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। विगत वर्षों में भारत सरकार के विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) नई दिल्ली, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय औषधिय पौध बोर्ड नई दिल्ली, भारत सरकार, वन विभाग मध्यप्रदेश शासन आदि द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत वनों पर निर्भर जन समुदाय की सहभागिता द्वारा वनों से एकत्रित की जाने वाली जंगली जड़ी–बूटी

औषधीय पौधे एवं अनेकों अकाष्ठीय वन संसाधनों का "विनाश विहीन विदोहन तकनीक" पर क्षेत्रीय स्तर पर अनुसंधान कर 15 प्रजातियाँ जो निरंतर विदोहन होने के कारण वनों में संकटापन्न स्थिति में पहुंच रही है, उनके सतत विदोहन सीमा का निर्धारण कर नियंत्रित विदोहन की तकनीक का विकास किया गया। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर वनों से जुड़े वन समिति सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण उपयोगी वनोपजों के विनाशविहीन तकनीक का ज्ञान देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

"अकाष्ठीय वनोपज सतत विदोहन एवं प्रबंधन नियमावली" के माध्यम से वन प्रबंधन समिति सदस्यों एवं वनों पर आश्रित जनसमुदाय जो वास्तविक रूप से वन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें वन उत्पादों के अवैज्ञानिक एवं विनाशकारी विदोहन के कारण भविष्य में होने वाले परिणामों तथा सतत विदोहन तकनीक के वास्तविक महत्व से अवगत कराना है। एकत्रित की जाने वाली अकाष्ठीय वनोपजों के मूल्य एवं गुणवत्ता बढ़ाने से कम मात्रा में एकत्रित संसाधनों का अधिक मूल्य प्राप्त करने की तकनीकी जानकारी समाहित किया गया है। बाह्य स्थलीय कृषि योग्य लघुवनोपजों को पड़त भूमि, खेतों की मेढ़ों पर घरेलू शाकीय उद्यान के रूप में बाड़ी आदि में औषधीय एवं व्यापारिक महत्व के वनोपजों की खेती हेतु जानकारी दी गई है। आदिवासी ग्रामीण, जो वनों के आसपास रहते हैं तथा जिन्हें लघुवनोपज एवं महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का ज्ञान है क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त करने एवं आजीविका का एक अच्छा एवं सुदृढ़ संसाधन स्थापित करने की दिशा में युक्तियुक्त सुझाव दिये गये हैं, जिससे वनक्षेत्रों पर विदोहन दबाव कम होने पर संकटापन्न प्रजातियों को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकेगा।

(डॉ. आर.के. पाण्डेय)
वरिष्ठ वैज्ञानिक
राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
जबलपुर (म.प्र.)